भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3501

जिसका उत्तर, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया

पोंजी स्कीमें

3501. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में फर्मों/कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा चलाई गई कई पोंजी स्कीमों से आम आदमी को ठगने की घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी पोंजी फर्मों/कंपनियों/व्यक्तियों को राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार चिन्हित किया गया और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्थिक अपराध शाखा ने हाल ही में देश में लगभग 400 लोगों को धोखा देने वाले पोंजी स्कीम के रैकेट का भांडाफोड़ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का निकट भविष्य में पोंजी स्कीमों का मुकाबला करने के लिए जमा या निवेश-राशि को स्वीकार करने के लिए कानून/नियम बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी पोंजी स्कीमों पर रोक लगाने और लाखों लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): जी ,हाँ। विनियामकों और प्रवर्तन एजेन्सियों से प्राप्त सूचना के अनुसार उन मामलों, जिसमें अप्राधिकृत योजनाओं के विरुध कारवाई की गई थी, का विवरण निम्नानुसार हैः

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार, राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) की बैठकों में अनधिकृत जमाराशि संग्रह करने से संबंधित 1609 मामलों पर चर्चा हुई थी।
- आरबीआई का सचेत पोर्टल, जो एसएलसीसी के लिए ऑनलाइन पोर्टल है, लोगों को धोखाधड़ियों की शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जमाराशियों का पुनर्भुगतान न करने और विभिन्न प्रकार की निवेश योजनाओं के लिए धन संग्रह करने (वर्ष 2016-17 में 1461, वर्ष 2017-18 में 1683 और वर्ष 2018-19 में 2081) के मामलों के संबंध में दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार 5225 शिकायतें (अगस्त, 2016 में पोर्टल के आरंभ होने से अब तक) प्राप्त हुई हैं।
- कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सूचित किया है कि विगत तीन वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 29.02.2020 तक) के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने 15 मामलों में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 112 कंपनियां शामिल है जो कथित रूप से अप्राधिकृत पौंजी कार्यकलापों में संलिप्त थी।
- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने विगत चार वर्ष के दौरान अप्राधिकृत पौंजी कंपनियों से संबंधित 146 मामले (वर्ष 2017 में 109, वर्ष 2018 में 26 और वर्ष 2019 में 9, दिनांक 29.02.2020 तक 2020 में 2) दर्ज किए हैं।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विगत चार वर्ष के दौरान सेबी (सामूहिक निवेश योजना) विनियम, 1999 का अनुपालन नहीं करने के लिए 75 संस्थाओं (वर्ष 2015-16 में 34, वर्ष 2016-17 में 11, वर्ष 2017-18 में 19 और वर्ष 2018-19 में 11) के विरुद्ध आदेश जारी किए हैं। सेबी ने विगत चार वर्ष के दौरान कानून के उल्लंघन में इक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय प्रतिभूतियों को जनता को जारी करने के

संबंध में भी 34 आदेश (वर्ष 2015-16 में 5, वर्ष 2016-17 में 3, वर्ष 2017-18 में 16, वर्ष 2018-19 में 8 और वर्ष 2019-20 में दिनांक 31.05.2019 तक 2) जारी किए हैं।

(ग) और (घ): गोवा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसी विनियामक/सरकारी विभाग जैसे आरबीआई/सेबी/उपभोक्ता मामले विभाग से लाइसेंस/अनुमति लिए बिना उच्च दर के ब्याज का वादा करते हुए लोगों से जमा/निवेश प्राप्त करने के मामले में आर्थिक अपराध कक्ष पीएस ने आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 403, 409 तथा 420 के अंतर्गत ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 4 तथा 5 और गोवा (वित्तीय संस्थानों में) जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 1999 की धारा 3 तथा 5 के अंतर्गत एफआईआर दायर की है। आर्थिक अपराध कक्ष पीएस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

(ङ) और (च): पोंजी योजनाओं पर रोक लगाने और लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 को अधिनियमित किया गया है। इसे दिनांक 31.07.2019 को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई और यह अनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के पश्चात् दिनांक 21.02.2019 को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में देश में अवैध जमा स्वीकार करने वाले कार्यकलापों से निपटने और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम में स्थायी पाबंदी का उपबंध है जो जमा स्वीकारकर्ताओं को किसी अविनियमित निक्षेप स्कीम का संवर्द्धन, परिचालन, विज्ञापन जारी करने या जमा स्वीकार करने के संबंध में पाबंदी करता है। यह अधिनियम निवारक के रूप में इस कृत्य के लिए कठोर दंड और भारी आर्थिक जुर्माना लगाने का भी प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा अनधिकृत योजनाओं को बंद करने और आम जनता को उसकी गाढ़ी कमाई के नुकसान से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जनता से अवैध रूप से जमा धनराशि संग्रह करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्संबंधित जमाकर्ता हित संरक्षण (पीआईडी) अधिनियम पारित किया है।
- राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी) जो सूचनाओं के आदान-प्रदान करने तथा लोगों से निधियों के अवैधिक संग्रहण के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई को सुकर बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, राज्य सरकार के अधिकारियों तथा प्रवर्तन एजेंसियों का संयुक्त फोरम है, को अप्रैल 2014 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया और बैठकों की आवृत्ति को वर्ष में दो से बढ़ाकर चार कर दिया गया।
- आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) के शीर्ष तथा समाचार पत्रों/रेडियो/टेलीविजन में विज्ञापनों के माध्यम से पौंजी योजनाओं के संबंध में जनता को सूचित किया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल सचेत (https://sachet.rbi.org.in) के माध्यम से जनता को धोखाधड़ीपूर्ण योजनाओं/ संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी दी गयी है।इसे और अधिक उपभोक्ता - अनुकूल बनाने के लिए अक्तूबर, 2019 में इसका संशोधन किया गया और इस प्लेटफार्म के व्यापक पहुँच को सुकर बनाने के लिए वर्तमान में यह हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 11 क्षेत्रीय भाषाओं उपलब्ध है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के द्वारा पंजीकृत/दायर एफ़आईआर/ आरोप पत्र के आधार पर पौंजी योजनाओं से संबन्धित मामलों की जांच शुरू करते हैं।
- सेबी को सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11कक के अंतर्गत सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) को विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- एमसीए लोगों को कोई निवेश करने से पूर्व योजना आदि में शामिल लोगों के संबंध में प्रकाशित सूचना विभिन्न मंत्रालयों की वेबसाइट से बताने के लिए शिक्षित करने हेतु निवेशक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

*****